न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 17/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 11.1.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. सोनीराम पुत्र चन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।

... अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा।
2. नाथूलाल पुत्र चन्दा जाति मीणा निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायम मुकामानः–

2/1– परमानन्द पुत्र स्व0 नाथूलाल
2/2– किशन पुत्र स्व0 नाथूलाल
2/3– शिवकुमार पुत्र स्व0 नाथूलाल
निवासीगण ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

3 ग्यारसीराम पुत्र चन्दा जाति मीणा जरिये कायम मुकामानः–

3/1– रामसिंह पुत्र स्व0 ग्यारसीराम
3/2– सुनील पुत्र स्व0 ग्यारसीराम
3/3– राजकुमार पुत्र स्व0 ग्यारसीराम
निवासीगण ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4. पांचूलाल पुत्र चन्दा मृतक जरिये कायम मुकामानः–

4/1– हंसराज पुत्र स्व0 पांचूलाल
4/2– बंशीलाल पुत्र स्व0 पांचूलाल
4/3– महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 पांचूलाल
4/4– सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 पांचूलाल
4/5– अशोक कुमार पुत्र स्व0 पांचूलाल
निवासीगण ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

5. नारायण पुत्र चन्दा मृतक जरिये कायम मुकामानः–

5/1– फूलचंद दत्तक पुत्र स्व0 नारायण निवासी ग्राम हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री ललित कुमार नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अनमोल बेरवा अभिभाषक रेस्पो0 5/1

:::निर्णय:::

दिनांक 21.3.2018

अपीलार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान) (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 13/10 (प्रा0 पत्र) अन्तर्गत धारा 136 ले0 रेवेन्यू एक्ट बउनवान सोनीराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा मे पारित निर्णय दिनांक 28.5.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से व्यथित होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 मे इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हनुवतखेडा मे अपीलार्थी व उसके भाईयो के मध्य स्थित विविध खसरा नम्बरान की कुल 69 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बटवारे के उपरांत इंतकाल नं0 10 दिनांक 14.2.1972 से अपीलांट के हिस्से मे ख0 नं0 162/16 की 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज कर खातेदारी मे दर्ज की गई। सेटलमेंट द्वारा उक्त खसरा नम्बर का नया नम्बर 75 कायम किया व भूमि 9 बीघा 1 बिस्वा के स्थान पर 1.13 है0 दर्ज की गई जो गत रकबे के मुकाबले 0.32 है0 कम दर्ज की गई जबकि

1.45 है0 दर्ज किया जाना चाहिये था अतः इन्द्राज दुरूस्त किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र मे वर्णित ख0 नं0 अन्य खातेदारो के होने तथा प्रार्थना पत्र मे उनको पक्षकार नही बनाने व कमी रकबे की पूर्ति किस खसरा नम्बर मे से की जानी है अपना पक्ष सिद्ध करने मे असफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिनांक 28.5.2015 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा मे अपील पेश कर निवेदन किया कि जेरअपील आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों, तथ्यो एवं न्याय मे मान्यता प्राप्त सिद्धान्तो तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अधीनस्थ न्यायालय ने गम्भीरता पूर्वक अवलोकन नही किया। धारा 136 एलआरएक्ट मे स्टेट को ही पक्षकार बनाया जाता है अन्य व्यक्तियो को पक्षकार बनाया जाना विधिक रूप से आवश्यक नही है। कमी रकबे की पूर्ति के संबध मे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नजंरअदांज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है क्योंकि जिन खातेदारो से पूर्ति की जानी है उन अन्य खातेदारो को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी कर सुनवाई व जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जा सकता था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई कार्यवाही नही कर इस बिन्दू को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी त्रुटि की है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण के समय किन किन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना है इस तथ्य की जानकारी नही थी उक्त तथ्य तहसीलदार लाडपुरा की रिपोर्ट से ही प्रकट हुये है अतः अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य खातेदारो को पक्षकार नही बनाये जाने के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.5.2015 निरस्त किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्याया0 का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 कम 5/1 सुनी गई। शेष रेस्पो0 उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम हनुवतखेडा मे अपीलार्थी व उसके भाईयो के मध्य स्थित विविध खसरा नम्बरान की कुल 69 बीघा 13 बिस्वा भूमि मे अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा है जिसका आपसी सहमति से बटवारे के उपरांत इंतकाल नं0 10 दिनांक 14.2.1972 से अपीलांट के हिस्से मे ख0 नं0 162/16 की 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि दर्ज कर खातेदारी मे दर्ज की गई। सेटलमेंट द्वारा उक्त खसरा नम्बर का नया नम्बर 75 कायम किया व भूमि 9 बीघा 1 बिस्वा के स्थान पर 1.13 है0 दर्ज की गई जो गत रकबे के मुकाबले 0.32 है0 कम दर्ज की गई जबकि 1.45 है0 दर्ज किया जाना चाहिये था। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी अपीलांट का रकबा कम दर्ज किया जाना तथा ख0 नं0 66, 67, मे अधिक दर्ज किया जाना वर्णित कर अपीलांट के कमी रकबे की पूर्ति करने का वर्णन किया गया था ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को मुताबिक रिपोर्ट अन्य खातेदारो को पक्षकार बनाते हुये निर्णय पारित करना था किन्तु प्रार्थना पत्र अन्य खातेदारो को पक्षकार नही बनाने व पक्ष साबित नही करने के आधार पर खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2010(1) पेज 548, आरआरटी 2007(1) पेज 385, आरआरडी मई 2007 पेज 307 का न्यायिक उद्धरण पेश करते हुये अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 5/1 ने अपीलांट के उक्त तर्क का समर्थन करते हुये प्रस्तुत अपील स्वीकार कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट कम 5/1 के अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील मे प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी सपठित धारा 151 बावत पक्षकार बनाये जाने तथा डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का पेश करते हुये स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। अतः प्रकरण मे गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्रो का निर्णय किया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की है। प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम मे निर्णय की जानकारी 3.1.2017 को होना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन कर अपील को अवधि मध्य मानी जाने का अनुरोध करते हुये उक्त आशय का स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य अविश्वसनीय होने संबधी कोई आधार अभिलेख अपील पत्रावली मे उपलब्ध नही है ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर

अपील को अवधि मध्य माना जाता है तथा प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निम्नानुसार निर्णय किया जाता है।

6 प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट पटवारी पटवार मण्डल नयानोहरा तहसीलदार लाडपुंरा दिनांक 28.12.2012 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी ग्राम हनुवतखेडा सं0 2067–2070 के मुताबिक ख0 नं0 75 रकबा 1.13 है0 भूमि खातेदार सोनीराम पुत्र चन्दा मीना के नाम दर्ज रेकार्ड है। नामा0 सं0 10 दिनांक 24.2.1972 के अनुसार सेटलमेंट से पूर्व ख0 नं0 16 रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा था जो बाद सेटलमेंट ख0 नं0 75 रकबा 1.13 है0, ख0 नं0 67 रकबा 1.52 है0, 68 रकबा 1.44 है0, 69 रकबा 1.60 है0, 66 रकबा 1.61 है0 मे परिवर्तित किया गया जो खातेदारान नारायण, नाथूलाल, ग्यारसीराम, मोरपाल, सोनीराम, पॉचू पि0 चन्दा के मध्य आपसी बंटवारे से उक्त ख0 नं0 54 बीघा 2 बिस्वा अर्थात 8.65 है0 भूमि नारायण के 9 बीघा अर्थात 1.44 है, नाथूलाल के 9 बीघा अर्थात 1.44 है0, ग्यारसीराम के 9 बीघा अर्थात 1.44 है0, मोरपाल के 9 बीघा अर्थात 1.44 है0 व पॉचूलाल के 9 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 1.44 है0 व सोनीराम के 9 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 1.45 है0 भूमि पृथक–पृथक दर्ज करने का आदेश हुआ किन्तु दौरोने सेटलमेंट सं0 2038–57 मे उक्त रकबा 54 बीघा 2 बिस्वा को ख0 नं0 67 रकबा 1.52 है0, 68 रकबा 1.44 है0, 69 रकबा 1.60 है0 66 रकबा 1.61 है, 65 रकबा 1.35 है0 व 75 रकबा 1.13 है मे खातेदार क्रमशः नाथूलाल, मोरपाल, ग्यारसीराम, नारायण, पॉचूलाल व सोनीराम के नाम दर्ज की गई। इस प्रकार खातेदार नाथूलाल के 0.08 है0 भूमि व ग्यारसीराम के 0.16 है0 भूमि व खातेदार नारायण के 0.17 है0 भूमि गत रकबे के मुकाबले ज्यादा व खातेदार पॉचूलाल के 0.09 है0 व सोनीराम के 0.32 है0 भूमि गत रकबे के मुकाबले कम दर्ज की जाना प्रकट है। अतः स्पष्ट है कि खातेदार सोनीराम पुत्र चन्दा कौम मीना के गत रकबे के मुकाबले 0.32 है0 भूमि कम दर्ज कर रकबा 1.13 है0 दर्ज किया गया। कानूनन बिना किसी सक्षम आदेश के बन्दोबस्त विभाग को रकबा कम व अधिक दर्ज करने का कोई अधिकार नही है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य भी स्पष्ट हो जाता है कि रकबा बरारी करने पर नक्शा ट्रेस का रकबा व रेकार्ड का रकबा समान है। कमी रकबे की दुरूस्ती हेतु ख0 नं0 69 रकबा 1.60 है0 मे से 0.16 है0 भूमि पूर्वी तरफ की कम होकर ख0 नं0 75 मे व इसी प्रकार 0.16 है0 भूमि दक्षिणी तरफ की ख0 नं0 65 रकबा 1.35 है0 मे से कम होकर ख0 नं0 75 मे जुडने पर खातेदार सोनीराम का रकबा 1.45 है0 मुताबिक नजरी नक्शा प्रस्तावित किया था। अतः उक्त रिपोर्ट के आलोक मे प्रकरण मे मुताबिक रिपोर्ट 28.12.2012 अधीनस्थ न्यायालय को प्रभावित पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये बंदोबस्त से पूर्व एंव बाद के राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सारवान व कानूनी तथ्यो पर गौर किये बिना उक्त विवेचित रिपोर्ट दिनांक 28.12.2012 को नजरअदांज करते हुये सरसरी तौर पर पत्रावली का अवलोकन कर जेरअपील निर्णय पारित करने मे विधिक त्रुटि की है। अतः उक्त तथ्यो के आलोक मे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.5.2015 को न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय दिनांक 28.5.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये उक्त विवेचित तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमांड) किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 13/10 (प्रा0पत्र) धारा 136 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.5.2015 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण मे पक्षकारान को नोटिस जारी कर सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस व रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 28.12.2012 का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पुनः तथ्यात्मक एवं विधिसम्मत आदेश पारित करे।।

8 निर्णय आज दिनांक 21.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा